

बिहार सरकार  
खान एवं भूतत्व विभाग

सं०सं०-प्र०-०२-अ०ख०-०५/१६-...../एम०, पटना, दिनांक-.....

प्रेषक,

Web/  
E-mail/whats-  
App

सुशील कुमार,  
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी उपनिदेशक,  
सभी सहायक निदेशक,  
सभी खनिज विकास पदाधिकारी,  
सभी खान निरीक्षक।

विषय:- खनिजों लदे वाहनों के ओवरलोड तथा अवैध रूप से प्रेषण तथा परिवहन के क्रम में किये जाने वाले जुर्माना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विभिन्न श्रोतों से प्राप्त सूचना के अनुसार खनिज लदे वाहनों के ओवर लोडिंग तथा अवैध रूप से प्रेषण तथा परिवहन के क्रम में विभिन्न जिलों द्वारा जुर्माना हेतु अलग-अलग प्रक्रिया उपयोग किया जा रहा है तथा एकरूपता नहीं है। आप अवगत है कि Bihar Minor Mineral Concession Rules, 1972 एवं Bihar Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rules, 2003 में अवैध खनन/अवैध परिवहन के विरुद्ध स्पष्ट प्रावधान उल्लेखित है।

अतः निदेशित किया जाता है कि Bihar Minor Mineral Concession Rules, 1972 के नियम-40 (8) तथा Bihar Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rules, 2003 के नियम-6(4) एवं 8(a) के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-.....३१३०...../एम०, पटना, दिनांक-.....२६/७/१९.....

प्रतिलिपि:-सभी समाहर्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/7/19  
सरकार के अवर सचिव